कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, झांसी।

सूचना टेण्डर दिनांक 26.02.2025 जिला जजी, झांसी।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक अधिष्ठान, झांसी में विद्युत व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु 125 K.V.A. के एक नये जनरेटर(डी०जी० सेट) की स्थापना हेतु विभिन्न रजिस्टर्ड फर्मों से, सीलबंद लिफाफे में दिनांक 26.02.2025 तक टेण्डर आमंत्रित किये जाते है जो अवस्थापना उप-समिति, जनपद न्यायालय, झांसी के समक्ष दिनांक 27.02.2025 को समय सांय 04:30 बजे खोला जायेगा।

विवरण टेण्डर

1. जनरेटर(डी०जी० सेट) 125 K.V.A.
2. स्थापना सम्बन्धी निर्माण कार्य
3. संचालन हेतु सम्पूर्ण विद्युतीकरण मय उपकरण
4. संचालन हेतु प्रशिक्षण

टेण्डर भेजने हेतु पता-
केन्द्रीय नाजिर,
नजारत अनुभाग,
जनपद न्यायालय, झांसी।
पिन कोड-284001
मो०नं०-9838092614

(शक्ति पुत्र तोमर)
अध्यक्ष-अवस्थापना उप-समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, झांसी।

प्रतिलिपि-

1. कार्यालय, जिलाधिकारी, झांसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. कार्यालय, जिला पंचायत अधिकारी झांसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, झांसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. कार्यालय, तहसीलदार, सदर, झांसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अमीन, सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार करने हेतु।
6. नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, झांसी को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने हेतु।
8. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, झांसी की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, झांसी को निःशुल्क, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर, प्रचार-प्रसार करवाने हेतु प्रेषित।

18/02/25

(शक्ति पुत्र तोमर)
अध्यक्ष-अवस्थापना उप-समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, झांसी

टेण्डर के नियम तथा शर्तें

1. काली सूची में दर्ज फर्मों को टेण्डर में भाग नही लेने दिया जायेगा।

2. टेण्डर हेतु रुपये 20,000/– सिक्योरिटी धनराशि जनपद न्यायाधीश, झांसी के नाम निर्गत एफ०डी०आर० के माध्यम से जमा करनी होगी। टेण्डर स्वीकृत होने वाली फर्म की उक्त धनराशि, टेण्डर राशि में समायोजित कर ली जायेगी व अन्य फर्मों की सिक्योरिटी धनराशि वापस कर दी जायेगी।

3. टेण्डर में अंकित कोटेशन अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 तक लागू होगी एवं बीच में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा पुनरीक्षण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4. टेण्डर प्राप्त होने पर निर्गत कार्यादेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर उक्त फर्म को टेण्डर कार्य टेण्डर में वर्णित समस्त कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करना होगा। समस्त निर्माण कार्य एंव विद्युतीकरण मानकों के अनुरुप होगा।

5. टेण्डर कार्य के दौरान/उपरान्त सफाईकार्य/मरम्मत फर्म को अपने खर्चे पर करानी होगी।

6. टेण्डर में अंकित समस्त उपकरणों के ब्राण्ड का नाम एवं अन्य विवरण स्पष्ट रुप से वर्णित किया जायेगा। अस्पष्ट व अपूर्ण टेण्डर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

7. टेण्डर, नियम व शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सिक्योरिटी धनराशि जब्त करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा निरस्त किया जा सकता हैटेण्डर स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी का होगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, झांसी होगा।

8. उक्त जनरेटर की स्थापना एवं संचालन हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। जनरेटर में भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी उत्पन्न होने पर उसे तत्काल रुप से यथाशीघ्र उसी दिन सुधरवाना होगा।

9. उक्त जनरेटर की स्थापना हेतु समस्त व्यवस्था सम्बन्धित फर्म को स्वंय अपने खर्च पर करनी होगी। निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी यदि कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्म टेण्डर राशि के 5% प्रतिमाह के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने की उत्तरदायी होगी।

(शक्ति पुत्र तोमर)
अध्यक्ष–अवस्थापना उप–समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, झांसी।